संख्या-90/2026/530के-2/22-3-2025-17(1081)/23

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 02 अप्रैल, 2026

विषय:- जिला कारागार, आजमगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अखिलेश मौर्य पुत्र श्री मिठाई लाल, निवासी जनपद-जौनपुर की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-27511/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-04-08-2023, दिनांक 04.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, आजमगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अखिलेश मौर्य (बंदी संख्या-52/20) पुत्र श्री मिठाई लाल, जो सरोखनपुर, थाना-बदलापुर, जनपद-जौनपुर का निवासी है। बंदी द्वारा दहेज के लिए प्रताडित किये जाने के कारण दिनांक 31-12-2016 को श्रीमती सुलोचना ने आत्महत्या करने की घटना कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-95/2017 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-5, जौनपुर के आदेश दिनांक 07-08-2019 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा मा0 न्यायालय द्वारा प्रदत्त 10 वर्ष के कारावास की सजा के सापेक्ष दिनांक 25-06-2023 तक 06 वर्ष, 05 माह, 25 दिन की अपरिहार सजा तथा 07 वर्ष, 07 माह, 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति की आख्यानुसार बंदी की 39 वर्ष की आयु, 10 वर्ष कारावास के सापेक्ष 06 वर्ष, 05 माह, 25 दिन की भोगी गई अपरिहार सजा, बंदी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, पुलिस अधीक्षक व जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, आजमगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अखिलेश मौर्य (बंदी संख्या-52/20) पुत्र श्री मिठाई लाल, निवासी जनपद-जौनपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, आजमगढ़।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारगार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (किमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-4/2021 पालिसी स्ट्रेटजी फार ग्राण्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेशों के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in